संख्या-7/2021/339/तेइस-7-2021-40(सा0)/2021

प्रेषक,

अभय कुमार,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता, बजट-क वर्ग,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-7 लखनऊ: दिनांक 16 जून, 2021

विषय:- मूलवाद संख्या-19/17 नागेन्द्र सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 के अनुपालन में डिक्रीटल मद से धनराशि आवंटित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र संख्या-11874बीजी/245बी(2)/2019-20, दिनांक 10-02-2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मूलवाद संख्या-19/17 नागेन्द्र सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 के क्रम में धनराशि रू0 7,72,817.00 (रूपये सात लाख बहत्तर हजार आठ सौ सत्रह मात्र) के भुगतान हेतु बी0एम0-15 प्रपत्र पर डिक्रीटल मद से धनराशि आवंटन हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उपर्युक्त पत्र दिनांक 10-02-2021 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल, मूलवाद संख्या-19/17 नागेन्द्र सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 के अनुपालन में धनराशि रू0 7,72,817.00 (रूपये सात लाख बहत्तर हजार आठ सौ सत्रह मात्र) का आवंटन डिक्रीटल मद से किये जाने की एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में अनुदान सं0-58 के लेखाशीर्षक "5054-सडकों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-03-अन्य व्यय-0301-न्यायालयों की डिक्री की धनराशि के भुगतान हेतु व्यवस्था-24- वृहत् निर्माण कार्य(भारित)" के नामे डाला जायेगा।

4- सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी/ अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बहराइच द्वारा अन्तिम रूप से भुगतान करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि किसी अन्य योजना/ मद से धनराशि का भुगतान पूर्व में याची को नहीं हुआ है।

----2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 के अनुक्रम में प्रतिनिहित अधिकारों के अन्तर्गत प्रश्नगत प्रयोजन हेतु प्रथम बार जारी किया जा रहा है। इसकी पुष्टि धनावंटन करने के पूर्व संबंधित अधिकारियों द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

भवदीय,
अभय कुमार
संयुक्त सचिव।

संख्या-7/2021/339(1)/तेइस–7–2021-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- जिलाधिकारी, बहराइच।
3- वित्त नियंत्रक,लोक निर्माण विभाग, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, उ0प्र0,लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, बहराइच।
5- मुख्य अभियन्ता(मु0-1/2), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6- मुख्य अभियन्ता, देवीपाटन(गोण्डा) क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, गोण्डा।
7- अधीक्षण अभियन्ता, बहराइच-श्रावस्ती वृत्त, लोक निर्माण विभाग, बहराइच।
8- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बहराइच।
9- वित्त(व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन।
10- लोक निर्माण अनुभाग-10, उ0प्र0 शासन।
11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
राजेन्द्र प्रसाद
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।